संख्या-109/2026/I/1448049/2026/71-1002(002)/6/2026

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊः दिनॉक 31 अगस्त, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज से सम्बद्ध स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन बाल चिकित्सालय के अतिरिक्त कार्यो हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एमई/निर्माण/2026-27/116, दिनांक 13.08.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज से सम्बद्ध स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन बाल चिकित्सालय के अतिरिक्त कार्यो हेतु संशोधित टेण्डर लागत के अनुसार पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए अवशेष देय धनराशि रू0 252.50 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-20/2026/I/1233717/2026/71-1002(002)/6/2026, दिनांक 10.02.2026 द्वारा मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज से सम्बद्ध स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन बाल चिकित्सालय के अतिरिक्त कार्यो हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत रू0 753.73 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रश्नगत परियोजना की प्रथम किश्त के रूप में रू0 376.865 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-107/2026/I/1410114/2026/71-1002(002)/6/2026, दिनांक 27.07.2026 द्वारा रू0 123.135 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार परियोजना हेतु अब तक कुल रू0 500.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज से सम्बद्ध स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन बाल चिकित्सालय के अतिरिक्त कार्यो हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 10.02.2026 द्वारा अनुमोदित लागत रू0 753.73 लाख को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/15, दिनांक 17.05.2023 में विहित व्यवस्था के अनुक्रम में टेण्डर लागत के अनुसार **रू0 752.50 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए** प्रश्नगत कार्य की **अंतिम किश्त के रूप में रू0 252.50 लाख (रू0 दो करोड़ बावन लाख पचास हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन** अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है -

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों-

1. प्रश्नगत परियोजना की लागत पुनरीक्षित होने पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/15, दिनांक 17.05.2023, 19.05.2023 सपठित शासनादेश संख्या-5/2026/ए-2-आई/1365672/2026, दिनांक 18.06.2026 व कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में विहित प्रक्रिया का अक्षरश : अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
2. प्रश्नगत परियोजना की लागत पुनरीक्षित होने पर अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायेगी।
3. प्रायोजना के कार्य यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिए जाएंगे, जिससे कास्ट ओवर रन एवं टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
4. यदि प्रश्नगत परियोजना में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज/कार्यदायी संस्था स्वंय उत्तरदायी होंगे।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 तथा प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज,प्रयागराज पूर्व में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हो रही बचत की धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित कर लेंगे।
6. किसी भी स्थानीय अनियमितता के लिए मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य एवं संबंधित चिकित्सालय के सी0एम0एस0 उत्तरदायी होंगे।
7. परियोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-20/2026/I/1233717/2026/71-1002(002)/6/2026, दिनांक 10.02.2026 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,52,50,000 (रुपये दो करोड़ बावन लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031054000 मेडिकल कालेज, प्रयागराज **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० सिडको, लखनऊ।
8. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in